न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2015 (राजसमन्द डिक्री)

श्री वजेसिंह गोदपुत्र किशोर सिंह (शिवसिंह जी) खरबड़ राजपूत निवासी केसूली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री तेजसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जी खरबड़ राजपूत निवासी केसूली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा दिनांक 23–3–2015 प्रकरण सं. 246/2015 राजस्व वाद

————

उपस्थित :–1– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक अपीलान्ट

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

————/————

निर्णय **दिनांक 06–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पापामाल में स्थित आराजी नंबर 722/419 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पूर्वाधिकारी किशोरसिंह पिता गोविन्दा का पुराना कब्जा होने से मिसल संख्या 63/76 से नियमन की गई। किशोरसिंह की मृत्यु हो जाने से उसके लड़के वजेसिंह वादी के नाम पर नियमन के आदेश हुए। राज्य सरकार का आदेश 13–4–1971/29–5–1977 में सहवन से वजेसिह के स्थान पर तेजसिंह पिता किशोरसिंह अंकित हो गया तथा नामान्तरकरण संख्या 38 में भी वजेसिंह के स्थान पर तेजसिंह पुत्र किशोर सिंह गलती से अंकित हो

गया। वास्तव में मृतक किशोरसिंह के कोई जाईन्दा पुत्र/पुत्री नहीं होकर मात्र वादी वजेसिंह ही गोदपुत्र था। सहवन से वजेसिंह के स्थान पर तेजसिंह अंकित हो गया, जबकि तेजसिंह पिता किशोरसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम केसूली में नहीं है तथा किशोरसिंह का तेजसिंह नाम से कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। वादी का सजरा वादपत्र के कलम संख्या–3 अनुसार है। मूल पुरूष गोविन्दसिंह के 2 पुत्र शिवसिंह व किशोरसिंह थे, जो दोनों मर गये। किशोरसिंह ला–औलाद फोत हुआ, जबकि शिवसिंह के 2 पुत्र मोहनसिंह व वादी वजेसिंह है। विवादित भूमियां नियमन से पूर्व ही वादी के कब्जे काश्त में है तथा नियमन पत्रावली में भी वादी वजेसिंह का नाम अंकित है। वादी के पक्ष में खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिलवाये जाये।

प्रकरण में प्रतिवादी कथित तेजसिंह पिता किशोरसिंह की अखबार के माध्यम से तामिल पर भी अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। सरकार प्रतिवादी संख्या–2 की और से कोई जवाब पेश नहीं हुआ। वादी के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा बहस पर मनन करने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 23–3–2015 को साबित नहीं होने से खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 9–6–2015 को पेश की। नकल दिये जाने/प्राप्त करने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के रजिस्टर्ड ए/डी सम्मन भी अदम तामिल प्राप्त होने से अखबार के माध्यम से तामिल करवाये जाने पर भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण आधार पर निर्णय करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना तथा किसी प्रकार का खण्डन उपलब्ध हुए बिना तथा नियमन पत्रावली में वादी का नाम अंकित होने के बावजूद त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के खण्डन रहित वाद व पेश शुदा साक्ष्यों से इतर जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी के पिता का नाम किशोरसिंह होने की कोई साक्ष्य नहीं है। नियमन पत्रावली में वजेसिंह को किशोरसिंह का पुत्र बता रखा है, परन्तु यदि किशोरसिंह का विधिक गोदपुत्र वादी नहीं भी हो तो, प्राकृतिक विरासत के आधार पर बाद जांच/पंचायत प्रमाणिकरण अधिनस्थ न्यायालय को काश्तकारी कानून में तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निर्णय करने के स्थान पर न्याय के दृष्टिकोण से पंचायत से किशोरसिंह के वारिसान की जांच पटवारी के माध्यम से तलब कर मूल खातेदार काश्तकार के स्थान पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम घोषणा करनी चाहिए थी, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर तकनीकी निर्णय पारित किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में मृतक किशोरसिंह के वास्तविक उत्तराधिकारी एवं मौके की जांच अधिनस्थ राजकीय कर्मचारियों एवं पंचायत से जांच करवा कर मौखिक रिपोर्ट तलब कर पुनः पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर